FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जज अदालत ....उपखंड अधिकारी,..................मुकाम..........बयाना..........

..........डालचंद आदि..................बनाम..........गंगासिंह वगैरह..................किस्म

मुकदमा..................प्रार्थना–पत्र 212 राज.टी.एक्ट..........नं..........341..........सन..........22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.12.2022	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 212 राज. टी. एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीखपेशी दिनांक 13.04.2023 तक इस आशय का जारी किया जाता है आराजी खसरा नंबर 1007 रकवा 0.47,. 86 रकवा 0.09, 87 रकवा 0.97, 979 रकवा 0. 54, 980 रकवा 0.11 वाके ग्राम बागरैन तहसील बयाना में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। विवादित आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। इस बाबत् कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय, हाजा, उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो और अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.04.2023 को पेश हो।	
13/4/23	पीठासीन अधिकारी ...दीगर कार्य में... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/7/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
26/7/23	पीठासीन अधिकारी ...हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/11/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
30/11/23	पीठासीन अधिकारी ...दीगर कार्य में... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/24 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

8/5/24 - पु० प्रार्थी उपस्थित। का० प्रार्थी उपस्थित
अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तामील
पत्रावली दि० 13/8/24 को पेश हो।

13/8/24 पीठासीन अधिकारी [illegible] हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/11/24 को पेश हो
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

8/11/24 पीठासीन अधिकारी अवकाश में हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/25 को पेश हो
रीडर
ओ/एस.डी.एम

24/1/25 पु० प्रार्थी उपस्थित। समय [illegible]
पत्रावली दि० 13/5/25 को पेश हो।

13/5/25 पु० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली [illegible]
[illegible] को पेश हो।

9/7/25 पीठासीन अधिकारी [illegible] हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/9/25 को पेश है।
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

23/9/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में उ० प्रार्थीगण
व उनके फरीकैन अनु० पत्रावली के सम्बन्ध
में न्यायालय द्वारा से बार-बार आवाज
लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी पत्रावली
में कोई उपस्थित नहीं।
अतः पत्रावली अर्जी जेर पर अदम हाजिरी व
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फाइल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद -
तकमील दाखिल दफ्तर हो।